न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर
कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका, आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 22/15 (223आर.टी.एक्ट.)

आरसीएमएस संख्या :— 2015/00170

उनवान

1. इदरीश
2. इनुस
3. ईशा

} पिसरान सुभानखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस।

वनाम

1. सुगरा पुत्री सुभानखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां जिला भरतपुर।
असल रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार कामां ——— फौरमल रेस्पो0 प्रति0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी कामां कैम्प कोर्ट लुहेंसर तहसील कामां दिनांक 18.05.2015 प्रकरण संख्या 07/2014 वउनवानी इदरीश व अन्य वनाम सुगरा व अन्य अतंर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगणः—

1. वकील अपीलांटस श्री मूलचन्द जैन व वेदप्रकाश शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा

निर्णय

दिनांकः— 19.7.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकरी कामां कैम्प कोर्ट लुहेंसर तहसील कामां के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2015 के विरूद्व पेश की गई है। जो इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने एक वाद विरूद्ध असल प्रतिवादी रेस्पो. न. 1 अतंर्गत धारा 88,89, व 188 आरटी एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किया कि आराजी ख.न. 553/1.40 वाके ग्राम लुहेसर तहसील कामा में है जो आराजी मुतदाविया पूर्व में हमीदी पत्नी सुभान खां के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी जिनको प्रतिवादी रेस्पो. न. 1 की मां हमीदी ने सन 1990 के माह अप्रैल में हमेशा के लिए अपीलांट को उनके खास परिवादी होने के नाते काश्त को दे दी तभी से अपीलांट अराजी मुतदाविया पर बहैसियत खातेदार काश्तकार रहकर काश्त करते आ रहे है। और मृतक हमीदी का उक्त आराजी से कोई

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

वास्ता उसके बाद से नहीं रहा और ना रेस्पो. न. 1 का रहा लेकिन राजस्व रिकार्ड में मृतक हमीदी का नाम अंकित होता रहा जिसे बातिल व बेअसर करार कराते हुए वादीगण अपने आपको आराजी मुतदाविया का खातेदार बहिस्सा बराबर घोषित करा पाने के अधिकारी है। रेस्पो. न. 1 हमीदी मृतका की लड़की होने के नाते गलत तरीके पर अपने नाम नामातंरण कराते हुए उसे रहन बय मुंतकिल कर देना चाहती है, ऐसी सूरत में उसे पाबंद फरमाया जावे आदि जिस पर रेस्पो. न. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए वादीगण के कथनों को अस्वीकार किया गया और हमीदी मृतका की पुत्री होना ओर उस पर काबिज होना बताते हुए अपीलांटस के वादपत्र को खारिज करने की इश्तदुआ की। इस वाद को राजस्व अभिमान के अतंर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र लुहसेर में रखा गया और अपीलाटंस को बिना सुनवाह का अवसर दिये एवं बिना साक्ष्य एवं अन्य कार्यवाही अपनाते हुए सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने हित को सर्वोपरि रखते हुए व रेस्पो. न. 1 का ध्यान देते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 के द्वारा अपीलांटस का दावा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील अदंर मियाद पेश की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाटस का दावा खारिज केवल रेस्पो. न. 1 के पक्ष में कोई वसीयतनामा करना बताया गया है और उसके आधार पर अपीलांटस का दावा खारिज किया है जो विधि विरूद्ध है। चूंकि इस वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो जो प्रोसीजर दिया गया है उसकी पालना की है चूंकि जब दोनो पक्षकारों के वाद एवं वादोत्तर आ गये थे तो उस सूरत में प्रथम तनकी कायम करते हुए पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही गुणावगुणों के आधार पर वाद को तय किया जाना चाहिए था। इसके अलावा जिस वसीयतनामा का होना बताया है उनको ना तो वादीगण अपीलांटस द्वारा स्वीकार किया गया है और ना उसको रेस्पो. न. 1 की ओर से हस्व दफा 68 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित कराया गया है और उन पर विला साक्ष्य के मानने में कानूनी भूल की है इसलिए अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलांटस को इस प्रकरण को सुनवाई के समय कोई मौका नहीं दिया गया है जिससे न्यायिक प्रक्रिया का हनन हुआ है। साथ ही वादीगण ने अराजी मुतदाविया पर उनका कब्जा बताया है और इस प्रकरण को निस्तारण करने से पूर्व कब्जे के संबंध में कोई फाइंडिग दी गयी है। ऐसी सूरत में न्यायिक प्रक्रिया की पालना के अभाव में पारित निर्णय मनमाने तरीके पर ऐरीबिटरी तरीके पर पारित हुआ है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांटस का दावा विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पो. न. 1 डिक्री फरमाया जावे या पुनः सुनवाई हेतु तहत अदालत को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

2. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. न. 1 की ओर से श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालातनामा पेश किया। अपील के संबंध में रेस्पो. न. 1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ तथा बाद में रेस्पो. न. 1 व उनके एडवोकेट भी उपस्थित नहीं आये।

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि विवादित भूमि पर वर्ष 1990 से अपीलांटस ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इस पर रेस्पो. न. 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय न वाद को कैम्प कोर्ट लुहेसर में रखकर बिना प्रोपर सुनवाई के निर्णात कर खारिज किया जबकि वाद में प्रतिवादी का जवाब दावा भी मौजूद था और उसके आधार पर तनकीयात कायम कर उनपर साक्ष्य ली जाकर ही निर्णय होना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये ही निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिले निरस्त है। अपीलांटस को प्रकरण में सुना ही नहीं गया तथा उनके वाद को साक्ष्य से साबित किये जाने का अवसर ही नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाते हुए अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाटंस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि इस वाद को राजस्व अभियान के अंतर्गत कैम्प कोर्ट लुहेसर तहसील कामां में निर्णात किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा में प्रतिवादिया की ओर से जवाब दावा पेश हुआ था लेकिन दावा व जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की और न ही दावे में वादीगण एवं प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य करवायी गई। ऐसी स्थिति में हम पाते है कि दावे में न्यायिक प्रक्रिया की पालना का अभाव व चूक रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे की परिपक्वता के अभाव में कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णय पारित किया जो न्यायिक प्रक्रिया की पालना के अभाव में नितांत गलत है। साथ ही साक्ष्य के अभाव में अप्रदर्शित दस्तावेजात को विवेचित भी नहीं किया जा सकता है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस के तर्को से पूर्णतया सहमत है। ऐसी स्थिति में मामले की अपरिपक्वता को मध्येनजर रखते हुए एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं प्रक्रिया विरूद्ध पाये जाने से काबिले खारिज है।

5. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्णय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सांक्ष्य लेखबद्ध कर समुचित सुनवाई का पुनः अवसर देते हुए विधिक निर्णय पारित करे। अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 19.7.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर